न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

नंदरी देवी आदि बनाम चन्द्र देवी आदि

क्रम मुकदमा दावा मु.नं. 122 वर्ष 25

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
16/7/25	वकील वादीगण द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रकरण से संबंधित टी.आई. आवेदन में प्रार्थी श्रवण कुमार पुत्र गोवर्धन लाल की ओर से श्री उत्तम शर्मा, एड. की ओर से प्रस्तुत केवियट प्रार्थना–पत्र होने से उनको सूचित करवाया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 20.08.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर	Noted for 18/7/2025 ③ AMOR
11/8/25	पत्रावली के वकील प्रतिवादी की ओर से विपक्ष लगभग अधिवक्ता वकील श्री [illegible] के वकालतनामा पेश करते प्रार्थी ने ली है। वकील वादीगण के विरुद्ध [illegible] के बाद मेरा नहीं चलना चाहते हैं अतः NOC Files नहीं देकर उसका खारिज किया गया। वकील प्रतिवादी को प्रेषित पत्रावली का अवलोकन किया अतः [illegible] को [illegible] बैंक के वकील का पद रद्द कर खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल प्रेषित होने का तकील [illegible]	वकील को आगे नहीं चलाना Note Files [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.20 15:49:32 IST
Reason: SelfAttested